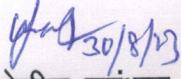
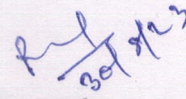


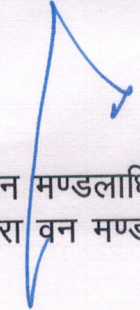
वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र  
(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र  
क्रमांक/एफ-11-9/1998-एफसी दिनांक 03.08.2009)

साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरबा क्षेत्र के बगदेवा भूमिगत परियोजना जिला कोरबा वन मण्डल कटघोरा, वन परिक्षेत्र, कटघोरा, तहसील कटघोरा में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 81.364 हे. क्षेत्र का ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा जिला कोरबा का प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रं. 273 में संलग्न है। वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु एसईसीएल कोरबा क्षेत्र का वचन पत्र संलग्न है।

  
उपक्षेत्रीय प्रबंधक

ढेलवाडीह-सिंघाली-बगदेवा उपक्षेत्र

  
क्षेत्रीय महाप्रबंधक  
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

  
वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Under jurisdiction of Bilaspur Court only</p> <p><b>साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड</b></p> <p><b>SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED</b></p> <p>(कोल ईण्डिया का एक अंश / A Subsidiary of Coal India Ltd.)</p> <p>कार्यालय महाप्रबंधक, कोरबा क्षेत्र</p> <p><b>OFFICE OF THE GENERAL MANAGER</b></p> <p><b>KORBA AREA</b></p> <p><b>" A MINI RATNA COMPANY "</b></p> | <p>Tel: 07759-221041 (Off.)</p> <p>Fax: 07759-249040</p>                            |
| <p>Regd. Office</p> <p>SEEPAT ROAD,</p> <p>POST BOX No: 60</p> <p>BILASPUR (CG)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>पो. कोरबा,</p> <p>जिला कोरबा (छ.ग.)</p> <p>PO: KORBA</p> <p>DIST: KORBA (CG)</p> |

संदर्भ क्र: एसईसीएल / महाप्रबंधक / कोरबा / 2023 / 72

दिनांक: 30/08/2023

**वचन पत्र**

**वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने बाबत**

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) लिखित रूप से वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि बगदेवा भूमिगत परियोजना की अवेदित राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण कर भारत सरकार, वन विभाग को जमा किया जाएगा।

*[Signature]* 30/8/23

उपक्षेत्रीय प्रबंधक  
ढेलवाडीह-सिंघाली-बगदेवा उपक्षेत्र

*[Signature]*

क्षेत्रीय महाप्रबंधक  
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र



प्रदर्श "स"

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

क./127 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2015

कोरबा दिनांक 15-1-2016

### प्रमाण- पत्र

मेसर्स एस.ई.सी.एल. कोरबा को भूमिगत कोयला खदान कार्य हेतु कोरबा जिला में कटघोरा, वनमंडल अंतर्गत राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु, राजस्व वन भूमि 109.277 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि (ग्राम सिंघाली में 48.234 हे. ग्राम अभयपुर में 9.513 हे. व ग्राम जवाली में 51.530 हे.) कुल रकबा 109.277 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सिंघाली, अभयपुर, जवाली तहसील कटघोरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 14.04.2015, 15.04.2015, 14.04.2015 (प्रदर्श-"अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श-"ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव, ग्राम सिंघाली, अभयपुर, जवाली के सरपंच श्री प्रहलाद सिंह, श्री चंदन सिंह, श्री विरेन्द्र पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 14.04.2015, 15.04.2015, 14.04.2015 में रखा गया था, एवं इसमें 61, 60, 61 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता की पात्रता रखने वाले व्यक्ति हैं।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रागवार निम्नानुसार है:-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार की मान्यता पत्र धारक का नाम   | खसरा न.  | रकबा( हे.में) |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------|---------------|
| 1    | अभयपुर       | महेन्द्र सिंह पिता बालक सिंह            | 283/1 से | 0.202         |
| 2    |              | शिवमंगल सिंह पिता बालक सिंह             | 283/1 से | 0.202         |
| 3    |              | शिवकपलाल सिंह पिता प्रेम सिंह           | 283/1 से | 0.101         |
| 4    |              | इंदलसिंह पिता बालक सिंह                 | 283/1 से | 0.101         |
| 5    |              | रामसिंह पिता इतवार सिंह                 | 180      | 0.121         |
| 6    |              | बाबूसिंह पिता घासी सिंह                 | 230      | 0.121         |
| 7    | सिंघाली      | शंकरसिंह पिता उमेदसिंह                  | 8/1क से  | 0.324         |
| 8    |              | प्रसादसिंह पिता बाबूलाल कंवर            | 8/1क से  | 0.101         |
| 9    |              | अनंदसिंह पिता मनबोध सिंह                | 8/1क से  | 0.048         |
| 10   |              | छत्रपाल सिंह पिता रामसिंह कंवर          | 8/1क से  | 0.283         |
| 11   | जवाली        | रंभा बाई / चमार सिंह                    | 104/1 से | 0.101         |
| 12   |              | संता बाई / नारायण सिंह                  | 104/1 से | 0.101         |
| 13   |              | शुकवार सिंह / गरुड़ सिंह                | 104/1 से | 0.405         |
| 14   |              | चंद्रकांती / सहदेव सिंह                 | 104/1 से | 0.162         |
| 15   |              | चमार सिंह / कांति सिंह                  | 104/1 से | 0.283         |
| 16   |              | पदुम सिंह / विश्वनाथ सिंह               | 104/1 से | 0.121         |
| 17   |              | समार सिंह / अधियार सिंह                 | 104/1 से | 0.607         |
| 18   |              | देवेन्द्र प्रताप सिंह / शिवकाविलास सिंह | 104/1 से | 0.162         |
| 19   |              | पावल सिंह / इतवार सिंह                  | 104/1 से | 0.121         |



|        |                         |                      |                |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------|
|        | कमल सिंह/भंवर सिंह      | 104/1 से             | 0.121          |
|        | लच्छी सिंह/भगत राम      | 104/1 से             | 0.121          |
| 22     | कनकन सिंह/भगत राम       | 104/1 से             | 0.121          |
| 23     | दुहन सिंह/दुलार सिंह    | 109/1 से             | 0.324          |
| 24     | रंजीत कुमार/मुकुंद सिंह | 109/1 से             | 0.283          |
| 25     | नंदू/बोधन               | 113/1 से             | 0.283          |
| 26     | हडारन सिंह/भवनाथ सिंह   | 113/1 से             | 0.283          |
| 27     | बिरझू/लक्ष्मण सिंह      | 113/1 से             | 0.809          |
| 28     | नोहर सिंह/सुकलाल        | 113/1 से             | 0.081          |
| 29     | बिहारी लाल/सहोरन लाल    | 113/1 से             | 0.243          |
| 30     | कमरछट/बुधराम            | 113/1 से             | 0.405          |
| 31     | छंदराम/लखन              | 113/1 से             | 0.121          |
| 32     | रामलाल/घोषीराम          | 113/1 से             | 0.121          |
| 33     | मोहन/जगेश्वर            | 113/1 से             | 0.202          |
| 34     | जयलाल/बीरसाय            | 113/1 से             | 0.165          |
| 35     | छतराम/रिखीराम           | 108/1 से             | 0.283          |
| 36     | मिलन राम/मछेलराम        | 108/1 से<br>109/1 से | 0.283<br>0.028 |
| 37     | चमरा राम/जनीराम         | 193/1 से             | 0.081          |
| 38     | सुकवारो बाई/मुकुतराम    | 190/1 से             | 0.202          |
| 39     | बेदूराम/अनंदकुवर        | 190/1 से             | 0.324          |
| 40     | विशाल सिंह/सुखीराम      | 190/1 से             | 0.383          |
| 41     | सुन्दर सिंह/मनोहर सिंह  | 190/1 से             | 0.121          |
| योग :- |                         |                      | 9.055          |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.04.2015, 14.04.2015, 14.04.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 एवं ग्राम सभा के दिनांक 15.04.2015, 14.04.2015, 14.04.2015 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई विद्यमान नहीं है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

दिनांक

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति  
जिला वन अधिकार (उत्तरांचल)  
11/3/16



पृ. क. / 128 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015  
प्रतिलिपि:-

कोरबा दिनांक 15-1-2016

1. सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कटघोरा  
एवं 15/1/16  
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति  
जिला वन अधिकार समिति  
कोरबा (छत्तीसगढ़)